क्रम संख्या–08 पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 20 जनवरी, 2020 ई0

पौष 30, 1941 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 29/XXXVI(3)/2020/67(1)/2019

देहरादून, 20 जनवरी, 2020

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019'** पर दिनांक 16 जनवरी, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 09 वर्ष, 2020** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 09, वर्ष 2020)

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 में अग्रेत्तर संशोधन के लिए–

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, *2019* है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 2 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (जिसे यहां आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (35) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(35) "नियमावली" से अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली अभिप्रेत है, किन्तु जब तक ऐसी नियमावली प्रख्यापित नहीं हो जाती, नियमावली से उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन प्रख्यापित नियमावलियां अभिप्रेत है।"

धारा 8 का संशोधन 3. मूल अधिनियम की धारा 8 में–

(एक) उपधारा (1) के खण्ड (थ) के परन्तुक को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

"परन्तु सामान्य वर्ग की महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी के मामले में न्यूनतम मिडिल/आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण न हो।"

(दो) उपधारा (8) के खण्ड (1) में उपखण्ड (घ) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(घ) किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या प्रबन्ध कमेटी का सदस्य है, या"

धारा 53 का संशोधन 4. मूल अधिनियम की धारा 53 में–

(एक) उपधारा (1) के खण्ड (थ) के 'परन्तुक' को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

"परन्तु सामान्य वर्ग की महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी के मामले में न्यूनतम मिडिल/आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण न हो।"

(दो) उपधारा (7) के खण्ड (1) में उपखण्ड (घ) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थातः–

"(घ) किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या प्रबन्ध कमेटी का सदस्य है, या"

धारा 90 का संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 90 में–

(एक) उपधारा (1) के खण्ड (थ) के 'परन्तुक' को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थातः–

"परन्तु सामान्य वर्ग की महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी के मामले में न्यूनतम मिडिल/आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण न हो।"

(दो) उपधारा (7) के खण्ड (1) में उपखण्ड (घ) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

"(घ) किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या प्रबन्ध कमेटी का सदस्य है, या"

धारा 131 का संशोधन

6- मूल अधिनियम की धारा 131 की उपधारा (4) के खण्ड (ज) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थातः–

"(ज) (1) प्रधान या उप प्रधान या ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन के सम्बन्ध में आपत्ति न की जायेगी, सिवाय ऐसे प्राधिकारी को, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, निम्नलिखित आधारों पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाए कि–

(क) यह निर्वाचन इस कारण निर्बाध निर्वाचन नहीं है कि इसमें रिश्वत अथवा अनुचित प्रभाव डालने का भ्रष्ट आचरण व्यापक रूप से व्याप्त था, अथवा

(ख) निर्वाचन के परिणाम पर –

(i) किसी नामनिर्देशन–पत्र को अनुचित रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने से, अथवा

(ii) इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का पालन करने में घोर चूक किए जाने से,

सारवान प्रभाव पड़ा है।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित रिश्वत या अनुचित प्रभाव डालने के भ्रष्ट आचरण समझे जायेंगे,

(क) रिश्वत, अर्थातः–

(i) किसी व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में निर्वाचन में खड़े होने या खड़े न होने या उम्मीदवारी से नाम वापस लेने के लिये, या

(ii) किसी निर्वाचक को निर्वाचन में मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से या किसी व्यक्ति को इस बात के लिए कि –

(1) वह इस प्रकार खड़ा हुआ या खड़ा नहीं हुआ या उसने उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले लिया;

(2) किसी निर्वाचक को इस बात के लिये कि उसने मतदान किया था या मतदान करने से विरत रहा;

पुरस्कार–स्वरूप उम्मीदवार द्वारा या उम्मीदवार की मौन सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को, चाहे वह कोई भी क्यों न हो, कोई उपहार या पारितोषण अर्पण का प्रस्ताव करना या वचन देना।

(ख) अनुचित प्रभाव डालना अर्थात् निर्वाचन सम्बन्धी किसी अधिकार के निर्बाध प्रयोग में उम्मीदवार की ओर से या उम्मीदवार की मौन सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किया गया कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करने का किया गया प्रयत्न;

परन्तु यह कि इस खण्ड के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई व्यक्ति जो उसमें निर्दिष्ट हो और जो –

(i) किसी उम्मीदवार या किसी निर्वाचक या किसी व्यक्ति को जिससे उम्मीदवार या निर्वाचक हितबद्ध हो, किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने की धमकी, जिसके अन्तर्गत सामाजिक बहिष्कार और जाति अथवा समुदाय से बहिष्कार या निष्कासन भी है, देता है; या

(ii) किसी उम्मीदवार या निर्वाचक को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है, या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, दैवी प्रकोप या आध्यात्मिक परिनिन्दा का पात्र हो जायेगा या बना दिया जायेगा, उसके सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह ऐसे उम्मीदवार या निर्वाचक के निर्वाचन सम्बन्धी अधिकार के निर्बाध प्रयोग में इस खण्ड के अर्थान्तर्गत हस्तक्षेप करता है।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन–पत्र किसी निर्वाचन में किसी उम्मीदवार या किसी निर्वाचक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और उसमें ऐसे ब्यौरे होंगे जो विहित किये जायें।

स्पष्टीकरण– कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने निर्वाचन में नामनिर्देश–पत्र प्रस्तुत किया हो, चाहे ऐसा नामनिर्देशन–पत्र स्वीकार या अस्वीकार किया गया हो, निर्वाचन में उम्मीदवार समझा जायेगा।

(4) उस प्राधिकारी को, जिसे उपधारा (1) के अधीन आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जाय –

(i) आवेदन पत्र की सुनवाई करने और ऐसी सुनवाई में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया के विषय में,

(ii) निर्वाचन को रद्द करने या निर्वाचन को अमान्य घोषित करने या आवेदक को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करने या किसी अन्य अनुतोष, जो आवेदक को प्रदान किया जाय, के विषय में ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो नियत किये जाय।

(5)उपधारा (4) के अधीन नियत की जाने वाली शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपधारा (1) के अधीन आवेदन पत्र की सरसरी तौर पर सुनवाई करने और उसे निस्तारित करने के लिए नियमों में व्यवस्था की जा सकती है।

(6) उपधारा (1) के अधीन आवेदन–पत्र पर विहित प्राधिकारी, जो सम्बंधित तहसील/परगना के सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी)/ परगना मजिस्ट्रेट होगा, के किसी आदेश से व्यथित कोई पक्ष, आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर निम्नलिखित किसी एक या अधिक आधार पर जिला न्यायाधीश को ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है; अर्थात् –

(क) विहित प्राधिकारी ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है, जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है;

(ख) विहित प्राधिकारी इस प्रकार विहित आधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा है;

(ग) विहित प्राधिकारी ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या सारवान अनियमितता से कार्य किया है।

(7) जिला न्यायाधीश पुनरीक्षण के लिये आवेदन–पत्र का निस्तारण स्वयं कर सकता है या उसे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन किसी अपर जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश या अपर सिविल न्यायाधीश को निस्तारण के लिए सौंप सकता है और उसे किसी ऐसे अधिकारी से वापस मंगा सकता है या किसी ऐसे अन्य अधिकारी को अन्तरित कर सकता है।

(8) उपधारा (7) में उल्लिखित पुनरीक्षण प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी नियत की जाय, और वह विहित प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि, उसमें फेरफ़ार या उसे विखण्डित कर सकता है या मामले को पुनः सुनवाई के लिए विहित प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित कर सकता है, और उस पर विनिश्चय होने तक ऐसा अन्तरिम आदेश दे सकता है जैसा उसे न्याय संगत और सुविधाजनक प्रतीत हो।

(9) इस धारा के अधीन दिया गया पुनरीक्षण प्राधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय और, इस धारा के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुए, विहित प्राधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय, अन्तिम होगा।

(10) यदि यह प्रश्न उठें कि कोई व्यक्ति क्षेत्र पंचायत का विधितः चुना गया प्रमुख, उप प्रमुख या सदस्य या जिला पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य है अथवा नहीं या वह ऐसा क्षेत्र पंचायत का प्रमुख, उप प्रमुख या सदस्य, जिला पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या

सदस्य होने के लिये पात्र है अथवा नहीं, तो वह प्रश्न न्यायाधीश, जिसका तात्पर्य जिला न्यायाधीश से है और उसके अन्तर्गत जिला न्यायाधीश द्वारा तदर्थ नामांकित या नामनिर्दिष्ट कोई अन्य अधीनस्थ न्यायाधीश भी है, को नियत रीति से निर्दिष्ट कर दिया जायेगा जिसका निर्णय अन्तिम तथा बन्धनकारी होगा।

यदि न्यायाधीश यह निर्णय करें कि कोई व्यक्ति क्षेत्र पंचायत का प्रमुख, उप प्रमुख या सदस्य या जिला पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य विधितः नहीं चुना गया था या वह क्षेत्र पंचायत का विधितः चुना गया प्रमुख, उप प्रमुख या सदस्य या जिला पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य रहने का पात्र नहीं रह गया है तो वह उस निर्णय के दिनांक से क्षेत्र पंचायत का प्रमुख, उप प्रमुख या सदस्य या जिला पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य नहीं रहेगा।"

धारा 132 का संशोधन

7. मूल अधिनियम की धारा 132 को पार्श्व शीर्ष सहित निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:—

"ग्राम पंचायत के निर्वाचन संबंधी विषयों में सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का निषेध :
इस अधिनियम के अधीन ग्राम पंचायत के निर्वाचन सम्बंधी विषयों के सम्बंध में नियुक्त किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा निर्वाचनों के संचालन के सम्बंध में की गयी किसी कार्यवाही या दिये गये किसी निर्णय की वैधता के सम्बंध में किसी सिविल न्यायालय को आपत्ति करने की अधिकारिता नहीं होगी।"

निरसन एवं व्यावृत्ति

8. (1) उत्तराखण्ड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2019 (अध्यादेश संख्या 03 वर्ष 2019) एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

प्रेम सिंह खिमाल,

सचिव।

उद्देश्य और कारणों का कथन

राज्य सरकार द्वारा 'उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2016) अधिनियमित किया गया है। वर्तमान आवश्यकता के दृष्टिगत् मूल अधिनियम में नियमावली को परिभाषित करने, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला को निर्वाचन हेतु शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने, एक साथ दो पद धारण को वर्जित किये जाने के साथ–साथ कतिपय त्रुटियों को भी दूर करने के लिए संशोधन किया जाना अपरिहार्य है। उत्तराखण्ड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2019 के द्वारा अधिनियम की धारा 8, धारा 53 और धारा 90 में संशोधन किया गया था।

2– प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त संशोधनों सहित उक्त अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक है।

3– प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

अरविन्द पाण्डेय

मंत्री।